(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 4367–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–9–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 127/2011–12/अपील

घीसालाल पिता काशीराम धाकड़
निवासी ग्राम उदपुरा तहसील जावद
जिला–नीमच (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
2–छगनबाई पिता काशीराम धाकड़
3–कैलाशबाई पिता काशीराम धाकड
निवासीगण उदपुरा तहसील जावद
जिला नीमच म0प्र0

.... प्रत्यर्थीगण

....

सुश्री किरण जुनेजा, अभिभाषक अपीलार्थी
अनावेदक–एकपक्षीय

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 21/9/17 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 127/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 17–09–2012 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार टप्पा रतनगढ एवं अनुविभागीय अधिकारी जावद के द्वारा यह प्रतिवेदन दिया कि ग्राम उदपुरा तहसील जावद

की भूमि सर्वे क्रमांक 168 रकबा 0.26 हेक्टर व सर्वे क्रमांक 171 रकबा 0.56 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.82 हेक्टर का पट्टा लगभग वर्ष 1984 में काशीराम धाकड़ को प्रदत्त किया गया था । काशीराम की मृत्यु के पश्चात् उक्त पट्टा भूमि पर वारिसान घीसालाल पिता काशीराम, छगनबाई पिता काशीराम धाकड़ एवं कैलाशबाई पिता काशीराम धाकड़ निवासीगण उदपुरा तहसील जावद का नामान्तरण स्वीकृत हुआ । पट्टाग्रहिता के द्वारा पट्टा भूमि पर पटटे कि शर्तो के अनुरूप कृषि कार्य नहीं करते हुये विगत 25–30 वर्षो से प्रश्नाधीन भूमि को छोड़कर ग्राम ओछाडा जिला चित्तोड़गढ राजस्थान में निवास करने लगे । पट्टाग्रहिता के द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने के फलस्वरूप भूमि का सार्वजनिक उपयोग न होकर उस पर सार्वजनिक मंदिर का निर्माण होकर अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी कब्जा कर लिया गया । अतएव पट्टाग्रहिता के द्वारा पट्टा भूमि पर कब्जे से निरन्तर विरत रहने/पट्टा शर्तो का पालन नहीं करने से एवं वर्तमान में भूमि पर सामुदायिक संरचना निर्मित होने से वादग्रस्त का पट्टा निरस्त करने की अनुशंसा सहित प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में अग्रेषित किया गया । कलेक्टर जिला नीमच द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 2 व 3 को विधिवत् कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये । जिसका उनके द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर न्यायालय के सुनवाई के दौरान ग्रामवासी द्वारा बताया कि आपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी कभी भी उक्त भूमि पर काबिज नहीं रहे व राजस्थान में नहीं निवास करते हैं उक्त पट्टा गलत जारी हुआ था । अपीलांट व प्रत्यर्थीगण को भी समक्ष में सुना गया । सुनवाई उपरांत दिनांक 18–10–2011 को कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया कि श्री काशीराम पिता डालु मृत निवासी तुमडिया वारिसान घीसालाल पिता काशीराम निवासी उदपुरा को शासन से पटटे पर प्राप्त शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 168 एवं 171 का पटटा, पट्टे शर्तो का उल्लघंन किये जाने के फलस्वरूप निरस्त करते हुये उक्त भूमि को शासकीय घोषित किये जाने के आदेश दिये । कलेक्टर जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2011 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–09–2012 से अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित

आदेश दिनांक 17–9–12 से परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किन परिस्थितियों में पट्टे की भूमि पर कृषि नहीं कर सका इस पर विचार नहीं करते हुये अपीलार्थी का पट्टा निरस्त करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पंचायत द्वारा अवैध निर्माण को हटाया जाकर अपीलार्थी की भूमि का आधिपत्य दिलाये जाने के बजाय उसका पट्टा निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी बताया कि जब अपीलार्थी को पट्टा प्रदान किया गया था तब वह विधिवत् भूमिस्वामी था तथा पंचायत में बिना किसी की अनुमति से उस पर अवैध निर्माण कर लिया । पंचायत के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के बजाय अपीलार्थी का पट्टा निरस्त कर दिया गया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि कलेक्टर न्यायालय एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ प्रकरण में प्रत्यर्थीगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । यह प्रकरण पट्टे की भूमि को शर्तो का उल्लंघन करके खेती न करने के कारण प्रारंभ हुआ है । प्रकरण में नायब तहसीलदार ने जॉच कर यह पाया है कि आलोच्य भूमि पर सार्वजनिक मंदिर बनाया जाकर अन्य व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है और जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया था उसकी मृत्यु होने के बाद उसके उत्तराधिकारियों का नामान्तरण स्वीकार हुआ किन्तु वे 20–30 वर्षो से प्रश्नाधीन भूमि को छोड़कर ग्राम ओछाड़ा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान में निवास करने लगे हैं उस पर से कार्यवाही होकर आलोच्य भूमि पर से उनका नाम कम किया जाकर पट्टा निरस्त किया

गया तथा भूमि शासकीय घोषित किये जाने के आदेश दिये गये तथा उभयपक्षों का नाम भूमि पर से कम करने तथा भूमि पर किसी का अवैध आधिपत्य हो तो उसे अतिक्रामक मानकर नियमानुसार कब्जा हटाने के आदेश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं । कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह न्यायिक एवं विधिसम्मत् हैं और उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

6/ परिणामस्वरूप यह अपील आधारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.